उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 2 16-31 जनवरी 2025 ₹ 20/-

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू

- राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश
- स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका की हत्या
- इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की घोषणा
- मुंबई आतंकी हमले के दोषी को अमेरिका से लाने की तैयारी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू 04
वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी 07
मुंबई आतंकी हमले के दोषी को अमेरिका से लाने की तैयारी 12
राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश 13
पॉपुलर फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज 14

विश्व

स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका की हत्या 16
पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद फैलाने का पाकिस्तानी मंसूबा 18
इमरान खान को 14 साल की सजा 19
पाकिस्तान में ऑनलाइन ईशनिंदा के आरोप में चार लोगों को मौत की सजा 21
फ्रांसीसी पत्रकारों पर हमला करने वाले छह पाकिस्तानियों को सजा 22
अफगानिस्तान में चीनी नागरिक की हत्या 23

पश्चिम एशिया

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की घोषणा 24
ईरान के सर्वोच्च न्यायालय पर आतंकी हमला 27
हूती समूह अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित 28
अहमद अल-शरा सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त 28
सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा 31
सूडान के बाजार पर हुए हमले में 54 लोगों की मौत 32

सारांश

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के लागू होने से बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के सभी नागरिक चाहे वे राज्य से बाहर भी रहते हों, उन्हें अपने विवाह और तलाक का पंजीकरण करवाना होगा। मार्च 2010 के बाद होने वाले सभी विवाह और तलाक के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके तहत सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार का समान कानून लागू होगा। विवाह और तलाक का पंजीकरण न करवाने पर तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इस कानून के लागू होने से हलाला और इद्दत जैसे प्रचलित प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग गया है। अगर पति-पत्नी दोनों जीवित हों तो उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। इसके अतिरिक्त गोद लेने और बिना विवाह के पैदा होने वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही अधिकार मिलेंगे। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर जोड़े के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की रसीद के आधार पर ही कोई जोड़ा किराए पर मकान ले सकेगा। इस कानून में लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया है। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है। उनका तर्क है कि सरकार इस्लाम और शरिया में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है।

राजस्थान विधानसभा में 16 साल के बाद एक बार फिर से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में जबरन, प्रलोभन या विवाह का लालच देकर धर्मांतरण कराने पर रोक लगाई गई है और इसे गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। हालांकि, इस विधेयक में लव जिहाद का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह उल्लेख जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को विवाह का प्रलोभन देकर उसका धर्मांतरण करवाता है तो उसे 10 साल की जेल और पांच लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यही सजा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का अवैध धर्मांतरण करवाने पर भी दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 2006 और 2008 में वसुंधरा राजे के शासनकाल में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' के नाम से एक विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इसलिए राष्ट्रपति से इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिली थी।

यूरोप में बड़ी तेजी से इस्लामिक आतंकवाद पनपता जा रहा है। हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इराकी मूल के एक व्यक्ति सलवान मोमिका की हत्या कर दी गई है। इस व्यक्ति पर 2023 में एक मस्जिद के बाहर कुरान को जलाने का आरोप था। मोमिका की हत्या के खिलाफ ब्रिटेन और डेनमार्क में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। इस हत्या के विरोध में दोनों देशों में कुरान की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया है।

डेढ़ साल के बाद मिस्र, कतर और अमेरिका के दबाव पर इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त सीरिया में नई सुन्नी सरकार ने सत्ता संभाल ली है। इन सुन्नी विद्रोहियों ने दो महीने पहले बशर अल-असद की शिया सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद अल-असद को परिवार सहित रूस भागना पड़ा था।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बड़ी तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में बांग्लादेश के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन ने गुप्त रूप से पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ढाका का दौरा किया है। वहां पर उन्होंने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ से भी मुलाकात की है। जानकार सूत्रों का अनुमान है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में फिर से आतंकवाद व अलगाववाद की ज्वाला भड़काने की साजिश रच रहा है। ■

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू

रोजनामा सहारा (28 जनवरी) के अनुसार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पॉर्टल का भी लोकार्पण कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन न केवल हमारे राज्य के लिए, बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक है। अब राज्य के सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन के कारण संभव हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य में यूसीसी के लागू होने से तमाम धर्मो व समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार का एक समान कानून होगा। 2010 के बाद होने वाले सभी विवाहों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायत और नगरपालिका में विवाह का पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसे 25 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उसे सभी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। अब महिलाएं भी पुरुषों की तरह तलाक ले सकेंगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। महिलाओं को दोबारा शादी करने पर किसी तरह की रोक-टोक नहीं होगी।

नए कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पति की मंजूरी के बिना धर्मांतरण करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसे तलाक देने और गुजारा भत्ता हासिल करने का अधिकार होगा। अगर पति और पत्नी दोनों जीवित होंगे तो उनमें से कोई भी व्यक्ति तलाक लिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। तलाक या घरेलू झगड़े की स्थिति में पांच वर्ष की उम्र तक मां अपने बच्चे की संरक्षक होगी। संपत्ति में बेटे और बेटी का बराबर का अधिकार होगा। जायज और नाजायज संतान में कोई अंतर नहीं होगा। बिना विवाह के

पैदा होने वाले बच्चे को भी विवाह के बाद पैदा होने वाले बच्चे के बराबर ही अधिकार मिलेगा। गोद लेने या सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को भी सामान्य रूप से पैदा होने वाले बच्चे जैसे ही अधिकार होंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर जोड़े को वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े पंजीकरण की रसीद के आधार पर ही किराए पर मकान ले सकेंगे। लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चे को वैध संतान माना जाएगा। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को संबंधविच्छेद करने के लिए भी पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण न करवाने पर तीन महीने की जेल या 25 हजार रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून आदिवासियों को छोड़कर सभी समुदाय के लोगों पर लागू होगा।

गौरतलब है कि 27 मई 2022 को यूसीसी के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी थी। यूसीसी विधेयक को 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से पारित किया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। उल्लेखनीय है कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने से पहले विशेषज्ञों की कमेटी ने सऊदी अरब, तुर्किये, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों में लागू समान नागरिक संहिता का अध्ययन किया था।

इस नए कानून के अनुसार उत्तराखंड में अगर किसी व्यक्ति का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है तो उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। कानून के लागू होने के छह महीने के अंदर विवाह का पंजीकरण न करवाने पर संबंधित व्यक्ति को 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी देता है तो उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को धरातल पर लागू कर दिया है। एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा ने इस कानून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह कानून शरिया के खिलाफ है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरिया और इस्लाम से हरगिज समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा गया है तो मुसलमानों पर इसे क्यों लागू किया गया है? वहीं, जमीयत उलेमा के दूसरे गुट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि

उत्तराखंड सरकार का यह कदम संविधान के खिलाफ है। इसका प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। मुसलमान शरिया और इस्लाम पर पूरी तरह से कायम हैं और जो कानून शरिया का उल्लंघन करेगा उसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

एतेमाद (20 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने सूरत में भाषण देते हुए कहा है कि देश के सभी लोगों पर समान कानून लागू होना चाहिए ताकि सबको एक समान न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यूसीसी का धर्म से कोई संबंध नहीं है।

उर्दू टाइम्स (29 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बोर्ड ने कहा है कि यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात है। इसे देश के मुसलमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी राज्य सरकार को यूसीसी को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम लीग ने भी एक प्रस्ताव पारित करके सरकार के इस फैसले की निंदा की है और इसे मुस्लिम व इस्लाम विरोधी करार दिया है।

सियासत (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह भाजपा की ओर से हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक नया कदम है। समाचारपत्र ने कहा है कि आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इससे साफ है कि भाजपा के निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं। वह उन्हें इस्लाम व शरिया से दूर करना चाहती है। समाचारपत्र ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे सरकार के इस तानाशाही रवैये का विरोध करें।

एतेमाद (24 जनवरी) ने अपने संपादकीय में राज्य में यूसीसी को लागू करने का विरोध किया है और कहा है कि यह सरकार का मुसलमानों के धर्म और शरिया में अनुचित हस्तक्षेप है। मुसलमान इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसे हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं किया गया है। भाजपा सरकार सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा हिंदू संस्कृति को मुसलमानों पर जबरन लाद रही है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है और इसका लक्ष्य मुसलमानों को इस्लाम व शरिया से दूर करना है। समाचारपत्र ने मशवरा दिया है कि मुसलमानों को इस कानून का डटकर विरोध करना चाहिए और इसमें अन्य अल्पसंख्यकों का भी सहयोग लेना चाहिए।

हिंदुस्तान (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की निंदा की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि समान नागरिक संहिता तो एक बहाना है। भाजपा का असली लक्ष्य मुसलमानों को इस्लाम व शरिया से दूर करना और उन्हें बहुसंख्यक समाज में मिलाना है। कट्टर सांप्रदायिक और मुस्लिम दुश्मन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उससे संबंधित भगवा संगठन वर्षो से इस

सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन संविधान के कारण अब तक वे अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो रहे थे। अब भाजपा ने देश के सेक्युलर संविधान के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला इसका ठोस प्रमाण है।

मुंसिफ (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि समान नागरिक संहिता संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है और आजादी के बाद से इस पर चर्चा होती आ रही है। हालांकि, इसे लागू करने से जो राजनीतिक स्थिति पैदा हो सकती है उसे देखते हुए आज तक किसी भी सरकार को इसे लागू करने की हिम्मत नहीं हुई। प्रधानमंत्री बनते ही नरेन्द्र मोदी ने देश में यूसीसी को लागू करने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि वे भारतीय मुसलमानों को शरिया में दिए गए अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अगर देश में यूसीसी को लागू किया गया तो इस्लाम व शरिया खत्म हो जाएगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय शाहबानो केस में शरिया के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है।

समाचारपत्र ने कहा है कि विधि आयोग ने यूसीसी पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। 2018 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में फिलहाल समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसे लागू करना भी उचित नहीं होगा। मुसलमानों की ओर से समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध किया जाता रहा है। मुसलमान शरिया को अल्लाह का बनाया हुआ मानते हैं और वे इसमें किसी भी अदालत या सरकार के हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने इससे पहले तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुसलमानों की मनोदशा को भांपने का प्रयास किया था। जब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो सरकार के हौसले बढ़ गए और अब उसने खुलेआम शरिया में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।

एतेमाद (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा ने बिहार में भी यूसीसी को लागू करने की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने इस मांग को नकार दिया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाना दुखद है और यह मुसलमानों को परेशान करने का एक तरीका है। इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा।

वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी

इंकलाब (28 जनवरी) के अनुसार वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। वहीं, विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को रद्द कर दिया है। अब इस

विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। समाचारपत्र के अनुसार जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मनमानी करते हुए विपक्ष के सभी संशोधनों को रद्द कर दिया है। इस विधेयक के प्रारूप में संशोधन हेतु देश के करोड़ों मुसलमानों और मुस्लिम संस्थानों की ओर से दिए गए सुझावों को भी स्वीकार नहीं किया गया है। कमेटी के सदस्य और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इसे मुसलमानों के साथ भद्दा मजाक बताया है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जेपीसी सत्तारूढ़ दल की कठपुतली बन गई है और इसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल का रवैया तानाशाही वाला रहा है।

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने हेतु गठित जेपीसी में कुल 31 सदस्य थे। इनमें से एनडीए के 16 सदस्य थे, जिनमें 12 भाजपा से थे। वहीं, इस कमेटी में विपक्षी दलों के 13 सदस्यों को रखा गया था। इसके अतिरिक्त वाईएसआर कांग्रेस के एक और एक मनोनीत सदस्य को भी इस कमेटी में रखा गया था। जब इस कमेटी की रिपोर्ट पर मतदान हुआ तो 16 सदस्यों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों की ओर से पेश संशोधनों का समर्थन किया। जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कमेटी के अध्यक्ष ने पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया है और सिर्फ पांच प्रतिशत अल्पसंख्यकों को ही जेपीसी के सामने अपनी राय पेश करने का अवसर दिया गया। जबकि 95 प्रतिशत ऐसे लोगों के ज्ञापनों को महत्व दिया गया, जिनसे वक्फ का कोई संबंध नहीं है। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को अपनी बात कहने का भी अवसर नहीं दिया। केंद्र सरकार संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस सेक्युलर देश को भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रही है।

अवधनामा (28 जनवरी) के अनुसार जेपीसी की बैठक खत्म होने के बाद इसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संवाददाताओं को बताया कि कमेटी ने जो प्रारूप स्वीकार किया है उससे वक्फ कानून और बेहतर व प्रभावी होगा। विपक्षी सदस्यों ने कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विरोध किया है और इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन बताया है। जबकि भाजपा का

कहना है कि इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड के कार्य में पारदर्शिता आएगी और वक्फ संपत्तियों की लूट खसोट पर लगाम लगेगी।

अखबार-ए-मशरिक (28 जनवरी) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जेपीसी के अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की कोई बात नहीं सुनी और हमारे सभी संशोधनों को रद्द कर दिया। यह तानाशाही रवैया है। जबकि जगदंबिका पाल ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हमने लोकतांत्रिक ढंग से काम किया है और बहुमत की राय को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से पेश सभी 44 संशोधनों को मत विभाजन से खारिज कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (28 जनवरी) के अनुसार 24 जनवरी को हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था। उन्होंने यह दावा किया था कि प्रारूप में किए जा रहे संशोधनों पर विचार करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि वक्फ विधेयक में जिलाधिकारी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और वह हर तरह की मनमानी कर सकता है। इस प्रारूप में जो संशोधन स्वीकार किए गए हैं वे पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ हैं। जबकि भाजपा ने कहा है कि विपक्षी दल इस मामले को टालना चाहते हैं, इसलिए वे जानबूझकर इसमें अड़ंगे डाल रहे हैं। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मैंने सभी सदस्यों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया था। जब मैंने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की तो उन्होंने हंगामा किया और मेरे खिलाफ असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को संसद के बजट सत्र में पेश करेंगे।

सियासत (20 जनवरी) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने जेपीसी को 65 सुझाव भेजे थे, जिनमें वक्फ के धार्मिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। कमेटी यह भी जानना चाहती थी कि क्या वक्फ संपत्ति का लाभ समाज के सभी संप्रदायों को मिल रहा है या इसका लाभ सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है? कमेटी ने कानूनी जटिलताओं, वक्फ पर अवैध कब्जे और वक्फ बोर्ड के सदस्यों की भूमिका के बारे में भी सवाल पूछे थे। जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने कहा कि वक्फ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। संसद में जो वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है उससे वक्फ का प्रबंधन करने वालों के अधिकार कम होंगे और सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों व दरगाहों पर कब्जा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ सदियों पुराने हैं और वे जनता की सेवा कर रहे हैं। यह संभव है कि उनके पास कानूनी दस्तावेज न हों, इसलिए इस नए विधेयक से मिल्कियत के बारे में नए विवाद पैदा होंगे। सरकार ने जिलाधिकारियों को जो अधिकार दिया है वह वक्फ की मूल भावना और इस्लामिक शरिया के खिलाफ है।

एतेमाद (25 जनवरी) के अनुसार जेपीसी की बैठक में भाग लेने वाले 10 विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। ये जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे थे। विपक्षी सांसदों ने यह आरोप लगाया था कि जगदंबिका पाल सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ने विरोध प्रकट किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और जगदंबिका पाल के बीच गरमा-गरम बहस हुई। बाद में भाजपा के सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसदों को निलंबित करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र लिखकर जगदंबिका पाल पर यह आरोप लगाया है कि वे सदस्यों के साथ घरेलू कर्मचारियों की तरह बर्ताव कर रहे थे और वे उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे।

रोजनामा सहारा (31 जनवरी) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को जेपीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। जगदंबिका पाल ने संवाददाताओं को बताया कि यह रिपोर्ट 655 पृष्ठों की है। उन्होंने कहा कि हमने समाज के सभी वर्गों से राय लेने का प्रयास किया है और इस संदर्भ में लगभग नौ प्रदेशों का दौरा भी किया है। हमारा लक्ष्य यह है कि वक्फ का लाभ गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिले।

एतेमाद (28 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जो वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है और यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

अखबार-ए-मशरिक (26 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार हाथ धोकर मुस्लिम शरिया के पीछे पड़ गई है और वह संसद में अपने बहुमत के बल पर इस विधेयक को तानाशाही तरीके से पारित करवाना चाहती है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। मीरवाइज उमर फारूक ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार वक्फ के मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला न करे, क्योंकि इससे मुल्क में तनाव पैदा होगा। उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के जनप्रतिनिधियों ने जो संशोधन पेश किए थे उन पर बिना विचार किए उन्हें रद्द कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (29 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि इस देश पर

भगवा संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधान के सरासर खिलाफ है। मुसलमानों के उपासना स्थलों को अवैध घोषित करके उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। समाचारपत्र ने आलोचना की है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में आवाज बुलंद करने के बजाय भगवा गिरोह के साथ मिल गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वक्फ की 90 प्रतिशत जमीनें पंजीकृत नहीं हैं। इससे जिलाधिकारियों को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा और वे वक्फ संपत्तियों को उन लोगों के हवाले कर देंगे, जो इसके पात्र नहीं हैं। अब यह साफ हो गया है कि सरकार ने जेपीसी का गठन देश के मुसलमानों और विपक्ष की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया था।

कौमी तंजीम (29 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि जेपीसी के अध्यक्ष ने तानाशाही तरीके से विपक्षी सांसदों के सभी संशोधनों को रद्द कर दिया है। जबकि भाजपा और उसके समर्थकों के सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इससे यह साफ हो गया है कि संसद में वही वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश होगा, जो भाजपा चाहती है। हैरानी की बात है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, वक्फ विशुद्ध रूप से मुसलमानों का मामला है और उससे गैर-मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है।

मुंसिफ (29 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जेपीसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष ने जिस तरह से रिपोर्ट पेश की है उससे साफ हो गया है कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाना सिर्फ दिखावा था। इस रिपोर्ट से साफ है कि जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदंबिका पाल पूरी तरह से केंद्र सरकार के दबाव में थे। उन्होंने वही किया जो भाजपा उनसे चाहती थी। अब सबकी निगाहें इस विधेयक के संसद में पेश होने के दौरान तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के रूख पर टिकी हुई हैं। मुसलमानों को यह आशा है कि ये दोनों पार्टियां संसद में इस विधेयक का विरोध कर सकती हैं।

हिंदुस्तान (29 जनवरी) ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के शरई मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार देश के मुसलमानों पर यूसीसी को लादना चाहती है और उनके वक्फ पर कब्जा करना चाहती है ताकि वह मुसलमानों के वक्फ का इस्तेमाल मनमाने ढंग से कर सके।

एतेमाद (30 जनवरी) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि जेपीसी ने सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों द्वारा पेश सभी 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। जबकि विपक्ष की ओर से पेश सभी 44 संशोधनों को संख्या बल के आधार पर रद्द कर दिया है। अध्यक्ष के रवैये को निष्पक्ष नहीं ठहराया जा सकता। विपक्षी सांसदों के इस आरोप में काफी दम है कि अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर जल्दबाजी की है। इससे मुसलमानों में यह भय पैदा हो गया है कि अब भाजपा की सरकार कानून की आड़ में मुस्लिम धार्मिक स्थलों और वक्फ संपत्ति को हड़पना चाहती है। मुस्लिम नेताओं के इस तर्क में दम है कि सरकार मंदिरों के प्रबंधन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने के बजाय मुसलमानों के वक्फ को अपने कब्जे में लेना चाहती है।

मुंबई आतंकी हमले के दोषी को अमेरिका से लाने की तैयारी

चट्टान (28 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यापारी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को खारिज कर दिया है। तहव्वुर ने अपनी याचिका में शिकागो की एक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि मई 2023 में शिकागो की एक अदालत ने भारत सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था कि अमेरिका 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले कर दे। अदालत ने यह भी कहा था कि राणा तब तक अमेरिका सरकार की हिरासत में रहेगा जब तक अमेरिकी विदेश मंत्रालय उसे भारत सरकार के हवाले करने के बारे में कोई निर्णय नहीं ले लेती। इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए मुंबई आतंकी हमला केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। तहव्वुर ऐसा व्यक्ति है, जिसे मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश की पूरी जानकारी है। निकम ने कहा कि अगर इस पाकिस्तानी मूल के व्यापारी को भारत के हवाले किया जाता है तो इससे मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे। इस हमले का दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को बताया गया था। 2011 में शिकागो की अदालत ने तहव्वुर राणा को लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने का दोषी करार दिया था, लेकिन उसे मुंबई हमले की योजना बनाने और उसमें भाग लेने के आरोप से बरी कर दिया था। अदालत ने 2013 में उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण उसे अमेरिकी जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन जब भारत सरकार ने अमेरिका सरकार से अनुरोध किया कि वह तहव्वुर राणा को भारत सरकार के हवाले करे, क्योंकि राणा भारत का वांछित अपराधी है। इसके बाद राणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तहव्वुर राणा ने उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इंकार किया है। वहीं, भारत का कहना है कि राणा ने अपने मित्र डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मुंबई में हमला करने में सहयोग दिया था।

इस मुकदमे में भारत सरकार ने कहा था कि 2006 में तहव्वुर ने हेडली की मदद से अपने फर्म 'फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस' का एक ब्रांच मुंबई में स्थापित किया था। हेडली ने मुंबई पर हमले के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया था। मुंबई हमलों में संलिप्त होने के आरोप में अमेरिका

में 35 वर्ष की सजा काट रहे हेडली ने 2011 में तहव्वुर राणा के खिलाफ गवाही दी थी। मुंबई आतंकी हमला केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने न्यूज एजेंसी 'एएनआई' को बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी सरकार ने किसी भारतीय जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूतों को स्वीकार किया है।

तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वह डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद पाकिस्तानी सेना में एक डॉक्टर के रूप में शामिल हुआ था। 2001 में उसने अपनी पत्नी के साथ कनाडा की नागरिकता ले ली। 2009 में गिरफ्तारी से पहले यह दंपत्ति शिकागो में रहता था। राणा वहां पर इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी चलाता था। तहव्वुर राणा पर 12 आरोप लगाए गए थे। इनमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने में सहायता देना भी शामिल था। उस पर यह भी आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक अधिकारी मेजर इकबाल से भी संपर्क साधा था। इकबाल के इशारे पर तहव्वुर ने लश्कर-ए-तैयबा को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। गौरतलब है कि मुंबई हमले में छह अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। ■

राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश

एतेमाद (4 फरवरी) के अनुसार राजस्थान की भाजपा सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का नाम 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025' है। इस विधेयक के अनुसार अवैध धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा। इस विधेयक का लक्ष्य गैर-कानूनी ढंग से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराने पर प्रतिबंध लगाना है। अवैध रूप से धर्मांतरण कराने वालों के लिए 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए राज्य के मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य धोखे, जबरन, दबाव या विवाह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने को अपराध घोषित करना है। इस विधेयक में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के आरोपी के लिए

प्रलोभन या विवाह का लालच देकर धर्मांतरण कराने को रोकने का कानून देश के अनेक राज्यों में मौजूद है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस तरह का कोई कानून नहीं है। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति का धोखे से, जबरन या विवाह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जाता है तो पीड़ित को पांच लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जा सकता है। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा पाने के बाद फिर से धर्मांतरण कराता है तो उसे दोगुनी सजा मिलेगी।

राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान में जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन देकर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए इस संबंध में कानून लाना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्मांतरण करता है तो उस पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन उसे धर्मांतरण करने से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को इसकी लिखित सूचना देनी होगी। पटेल ने कहा कि इस समय राजस्थान में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने का कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए इस विधेयक को सदन में पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2008 में वसुंधरा राजे सरकार ने भी विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी एक विधेयक पेश किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। अब भजन लाल शर्मा सरकार ने इस नए विधेयक को पेश किया है।

कम-से-कम एक साल की सजा का प्रावधान है। यह सजा पांच वर्ष तक पढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही आरोपी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति का अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी को कम-से-कम दो वर्ष की सजा दी जाएगी। यह सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से धर्मांतरण करवाता है तो उसे तीन साल से 10 साल की सजा मिल सकती है और आरोपी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। इस विधेयक के अनुसार जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है उसे इसकी सूचना कम-से-कम 60 दिन पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।

सरकार के अनुसार इस विधेयक का लक्ष्य देश के सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देना और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना है। जबरन,

पॉपुलर फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

हिंदुस्तान (18 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सितंबर 2022 में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान अबूबकर को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने अदालत में

अबूबकर की जमानत याचिका का विरोध किया है। एनआईए ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश करके यह दावा किया कि पॉपुलर फ्रंट द्वारा युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने हेतु गुप्त शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और उसे देश में अशांति फैलाने के लिए विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। एनआईए ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 2022 को पॉपुलर फ्रंट पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के पास यह पुख्ता प्रमाण है कि पॉपुलर फ्रंट इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लगातार संपर्क में है। अपनी जमानत याचिका में 72 वर्षीय अबूबकर ने कहा था कि उसे पार्किंसन और कैंसर की बीमारी है। उसने यह भी दावा किया था कि एनआईए उसके खिलाफ अदालत में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

रोजनामा सहारा (29 जनवरी) के अनुसार एनआईए ने तमिलनाडु में 20 स्थानों पर छापेमारी की। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये छापे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अड्डों पर मारे गए। इससे पहले भी एनआईए ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 50 स्थानों पर छापे मारे थे। हालिया छापेमारी तंजावुर में पीएमके के नेता रामलिंगम की हत्या से जुड़ी हुई है। 2019 में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने रामलिंगम की हत्या कर दी थी। वे दलितों के इस्लाम में धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। एनआईए ने इससे पहले इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके अतिरिक्त एनआईए ने 24 सितंबर 2024 को चेन्नई, कन्याकुमारी और पुदुकोट्टई सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब उत-तहरीर के लिए भर्ती के सिलसिले में मारे गए थे। 31 अगस्त 2024 को हिज्ब उत-तहरीर के एक वरिष्ठ नेता जलील अजीज अहमद को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर तब गिरफ्तार किया गया था जब वह देश से फरार होकर मलेशिया जाने का प्रयास कर रहा था। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

इंकलाब (26 जनवरी) के अनुसार एनआईए ने किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू और रियासी के 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। इनमें 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त एनआईए ने श्रीनगर, बडगाम और सोपोर में भी लश्कर-ए-तैयबा व उससे संबंधित संगठन टीआरएफ से जुड़े आतंकवादियों की तलाश में छापे मारे। इस दौरान लगभग एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ■

स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका की हत्या

एतेमाद (31 जनवरी) के अनुसार स्वीडन में इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान के अपमान के आरोपी सलवान मोमिका की हत्या कर दी गई है। मोमिका ने 2023 में कई बार सार्वजनिक तौर पर कुरान को जलाया था। तब स्वीडन में कुरान के अपमान पर इस्लामिक जगत में बहुत बवाल मचाया गया था। कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन के साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए थे। मोमिका के खिलाफ कुरान के अपमान का एक मुकदमा स्वीडन की अदालत में विचाराधीन था और कुछ ही दिनों बाद इस पर फैसला भी आने वाला था। उल्लेखनीय है कि कुरान जलाने के आरोपी सलवान मोमिका इराकी मूल के ईसाई थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावर मोमिका के फ्लैट में घुसे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मोमिका के फ्लैट में दाखिल हुई। पुलिस ने देखा कि मोमिका गोलियों से छलनी हुए पड़े थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा है कि सलवान मोमिका की हत्या में विदेशी शक्ति का हाथ है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सुरक्षा विभाग पूरी गंभीरता से इस हत्याकांड की जांच कर रहा है। यह संकेत मिला है कि इस हत्याकांड को एक विदेशी सरकार के इशारे पर अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में पांच लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यह भी दावा किया गया है कि हत्यारों ने इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया था। कुरान जलाने के मामले में मोमिका के साथ सह अभियुक्त सलवान नजीम ने कहा है कि उन्हें भी हत्या की धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान खतरे में है।

समाचारपत्र के अनुसार स्वीडन की सरकार ने मोमिका को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया था, लेकिन उनकी जान को खतरे में देखते हुए इस फैसले को स्थगित कर दिया गया था। 2023 में स्वीडन में कुरान के कथित अपमान पर मुस्लिम जगत में जनाक्रोश भड़क उठा था। उग्र भीड़ ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास पर हमला किया था और उसे आग के हवाले कर

दिया था। इसी तरह से तेहरान में भी उग्र भीड़ ने स्वीडिश दूतावास को अपना निशाना बनाया था। अनेक मुस्लिम देशों में इस घटना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए थे। स्वीडन की सरकार ने कुरान के अपमान की घटना की निंदा की थी। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा था कि स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने में कठिनाई आती है। मुस्लिम जगत के विरोध को देखते हुए स्वीडन ने 38 वर्षीय सलवान मोमिका का आवासीय परमिट रद्द कर दिया था और उन्हें राजनीतिक शरण देने का मामला भी खटाई में डाल दिया था। इराक ने मांग की थी कि कुरान जलाने के दोषी मोमिका को उसके हवाले किया जाए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके, लेकिन स्वीडन की सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कानून का हवाला देते हुए मोमिका को इराक के हवाले करने से इंकार कर दिया था।

मोमिका इराक के मोसूल शहर के रहने वाले थे। वे पिछले कुछ सालों से स्वीडन में रह रहे थे। 28 जून 2023 को उन्होंने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर कुरान के पृष्ठों को जलाया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने मोमिका की हत्या करने का फतवा जारी किया था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मोमिका की हत्या करेगा उसे ईरान में शरण दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसे एक करोड़ रियाल का ईनाम भी दिया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (31 जनवरी) के अनुसार फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' ने दावा किया है कि जब सलवान मोमिका को गोली मारी गई तब वे स्टॉकहोम स्थित अपने फ्लैट में टिकटॉक पर लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे थे। समाचारपत्र ने यह भी उल्लेख किया है कि जब मोमिका ने स्वीडन में कुरान को जलाने की घोषणा की थी तो वहां के मुसलमानों ने उनकी इस हरकत पर पाबंदी लगाने

की मांग की थी। इसके बाद सलवान मोमिका ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि अगर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। इस पर अदालत ने उन्हें कुरान जलाने की अनुमति दे दी थी और पुलिस को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया था। कुरान को आग के हवाले करते हुए मोमिका ने कहा था कि वे इस्लाम और शरीयत के आलोचक हैं। उन्होंने कहा था कि कुरान की कुछ आयतें मानवता के खिलाफ हैं। सलवान मोमिका ने 2017 में इराक के नगर मोसुल में इस्लाम के खिलाफ एक सशस्त्र समूह बनाया था। बाद में उन्हें इराक छोड़ना पड़ा। स्वीडन ने 2021 में उन्हें अपने देश में शरण देने का फैसला किया था।

एतेमाद (26 जनवरी) के अनुसार डेनमार्क में कुरान का अपमान करने पर पहली बार एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में दो लोगों को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2023 को डेनमार्क में कुरान व इस्लाम का अपमान करने को अपराध घोषित किया गया था। इस संबंध में डेनमार्क की संसद में एक विधेयक भी पारित किया गया था। इस नए कानून के अनुसार कुरान का अपमान करने वालों के लिए दो साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उर्दू टाइम्स (3 फरवरी) के अनुसार ब्रिटेन के मैनचेस्टर में कुरान जलाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह घटना स्वीडन में सलवान मोमिका की हत्या के दो दिन बाद हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिणपंथी संगठन स्ट्रैम कुर्स के नेता रासमस पालुदन ने भी मोमिका की हत्या के विरोध में डेनमार्क स्थित तुर्किये के दूतावास के बाहर कुरान को जलाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में स्वीडन की एक अदालत ने कुरान का अपमान करने के आरोप में पालुदन को सजा सुनाई थी। सऊदी अरब ने इन घटनाओं पर विरोध प्रकट किया है और सरकार से मांग की है कि वह इस्लाम व कुरान के अपमान की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए।

कौमी तंजीम (24 जनवरी) के अनुसार जर्मनी में एक इस्लामिक जिहादी ने चाकू घोंपकर दो वर्षीय एक बच्चे और 41 वर्षीय एक पुरुष की हत्या कर दी है। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। यह घटना जर्मनी के बवेरिया प्रांत के अस्चैफेनबर्ग क्षेत्र की है। जर्मन पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय हमलावर अफगान मूल का है। जर्मनी में उसे चार साल पहले एक शरणार्थी के रूप में शरण दी गई थी।

पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद फैलाने का पाकिस्तानी मंसूबा

ढाका से प्रकाशित **डेली स्टार** (24 जनवरी) के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के उच्चाधिकारियों की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उसकी योजना पूर्वोत्तर भारत में फिर से आतंकवाद की ज्वाला भड़काने की है। गौरतलब है कि पिछले महीने बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख और गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी अखबार ने यह भी पुष्टि की है कि हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चार उच्चाधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया है। ये पाकिस्तानी अधिकारी भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित रंगपुर में दो दिनों

तक डेरे डाले रहे। रंगपुर भारत की सैन्य छावनी सिलीगुड़ी के समीप स्थित है। इस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर, मेजर जनरल आलम अमीर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी महीने के प्रारंभ में बांग्लादेश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन ने भी इस्लामाबाद का दौरा किया था।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि भारत के पड़ोस में सैन्य गतिविधियों में हो रही वृद्धि पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं। डेली स्टार की एक खबर के अनुसार इन पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने आतंकवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ से भी मुलाकात की है। बरुआ लंबे समय से बांग्लादेश में रह रहा है। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर आरोप है कि उसने 2004 में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री लुत्फोज्जमां बाबर और पांच अन्य लोगों के सहयोग से 10 ट्रक हथियार और गोला बारूद चटगांव से भारत भेजने का प्रयास किया था। ढाका से प्रकाशित बंगाली अखबार 'प्रोथोम अलो' के अनुसार ढाका उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें परेश बरुआ भी शामिल है। बरुआ को बांग्लादेश की एक अदालत ने मौत की सजा दी थी। समाचारपत्र के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के शासनकाल में पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए इन हथियारों को भारत भेजने का प्रयास किया गया था। इस साजिश में बांग्लादेश के तत्कालीन गृहमंत्री और बीएनपी नेता लुत्फोज्जमां बाबर भी शामिल थे। बताया जाता है कि ये हथियार चीन ने सप्लाई किए थे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की ज्वाला को भड़काना था।

पाकिस्तानी समाचारपत्र **जंग** (20 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। इस दौरे के बाद आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने इसी महीने बांग्लादेश का गुप्त दौरा किया है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तानी सैन्य उच्चाधिकारियों का यह पहला बांग्लादेश दौरा है। ■

इमरान खान को 14 साल की सजा

हिंदुस्तान (18 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी सात साल की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे की सुनवाई भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में की। इमरान खान

इन दिनों रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। राणा ने अपने फैसले में इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया है। अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर इमरान खान को छह महीने और उनकी पत्नी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पाकिस्तान सरकार अल-कादिर विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में ले ले। अदालत के फैसले के बाद अदालत में मौजूद बुशरा बीबी को फौरन हिरासत में ले लिया गया।

सरकारी वकील के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर यह आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक व्यापारी मलिक रियाज को रिश्वत देकर अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए अरबों रुपये की भूमि हासिल की थी। पाकिस्तानी मीडिया ने अल-कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड का घोटाला करार दिया था। अदालत ने इस केस की सुनवाई 18 दिसंबर 2024 को ही पूरी कर ली थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता व वकील फैजल चौधरी ने कहा कि अदालत का यह फैसला राजनीति के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग की शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। पीटीआई के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी एक बयान के अनुसार इमरान खान ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज के फैसले ने न्यायपालिका की गरिमा को धूल में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सभी मुकदमे बेबुनियाद और राजनीतिक द्वेष से दर्ज किए गए हैं।

समाचारपत्र के अनुसार अल-कादिर ट्रस्ट की नींव 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासनकाल में रखी गई थी। इसके न्यासियों में इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी एक करीबी दोस्त फराह गोगी प्रमुख हैं। अल-कादिर ट्रस्ट की स्थापना के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मंत्रिमंडल से एक बंद लिफाफे में मंजूरी ली थी। इसके लिए ब्रिटेन से पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड मिले थे। पाकिस्तान को यह धनराशि बहरिया टाउन के एक भूखंड के निपटारे के लिए हस्तांतरित की गई थी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध शाखा ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ जांच की थी। इसके बाद मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय सरकार से समझौता कर लिया था। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराधा शाखा ने 190 मिलियन पाउंड की धनराशि को पाकिस्तान की धनराशि करार दिया था। इस धनराशि को पाकिस्तान सरकार के खजाने में जमा करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के उस खाते में पहुंचा दी गई, जिसमें मलिक रियाज बहरिया टाउन के मुकदमे में पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय को 460 अरब रुपये के विवाद के सिलसिले में किस्तों में धनराशि अदा कर रहे थे।

इमरान खान को 9 मई 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए थे। बाद में अदालत ने इमरान खान को इस केस में जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन नवंबर 2023 को इसी मुकदमे में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और यह केस अदालत को सौंप दिया गया। 27 फरवरी 2024 को रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अदालत में इस मुकदमे की 100 बार सुनवाई हुई और 30 से अधिक गवाहों को पेश किया गया। गवाहों में पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक, पूर्व मंत्री जुबैदा जलाल और इमरान खान के तत्कालीन मुख्य सचिव आजम खान भी शामिल थे।

पाकिस्तान में ऑनलाइन ईशनिंदा के आरोप में चार लोगों को मौत की सजा

चट्टान (29 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान की एक अदालत ने पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में ईशनिंदा पर कानूनी आयोग (एलसीबीपी) के प्रवक्ता राव अब्दुर रहीम ने बताया कि रावलपिंडी की एक अदालत ने दोषियों को पैगंबर मुहम्मद और कुरान के खिलाफ ऑनलाइन सामग्री पोस्ट करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। अब्दुर रहीम ने बताया कि पाकिस्तान में इस्लाम और पैगम्बर की तौहीन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगस्त 2023 में कुरान की तौहीन करने के कथित आरोप में ईसाइयों के एक गांव और गिरजाघरों पर हमले किए गए थे। अब्दुर रहीम ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को प्रोत्साहित नहीं करती है। आम तौर पर आपसी द्वेष और दुश्मनी के कारण भी इस्लाम की तौहीन के फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं।

पाकिस्तान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इस्लाम की तौहीन करने के आरोप में 767 लोगों को विभिन्न जेलों में बंद किया गया था। इस्लाम की तौहीन से संबंधित अधिकतर मुकदमे अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उल-हक के शासनकाल में पाकिस्तानी दंड संहिता में संशोधन करके इस्लाम, कुरान, पैगम्बर मुहम्मद और उनके परिवारजनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को मौत या उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान किया गया था।

फ्रांसीसी पत्रकारों पर हमला करने वाले छह पाकिस्तानियों को सजा

अवधनामा (25 जनवरी) के अनुसार फ्रांस की एक अदालत ने पैगंबर-ए-इस्लाम के कार्टून प्रकाशित करने वाली पत्रिका 'चार्ली हेब्दो' के दो पत्रकारों पर घातक हमला करने के आरोप में छह पाकिस्तानियों को सजा सुनाई है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार 29 वर्षीय जहीर महमूद ने जब इन दोनों पत्रकारों पर हमला किया था तो उसे यह नहीं पता था कि इस पत्रिका का कार्यालय वहां से स्थानांतरित हो चुका है। जहीर महमूद चार्ली हेब्दो के पुराने कार्यालय में घुसा और उसने वहां पर स्थित दो लोगों को चाकू घोंपकर बुरी तरह से घायल कर दिया। उल्लेखनीय है कि 2015 में जब इस फ्रांसीसी पत्रिका ने पैगंबर के कुछ कार्टून प्रकाशित किए थे तो इस पर मुस्लिम जगत में हंगामा मच गया था। इसके बाद अलकायदा के सशस्त्र आतंकवादियों ने इस पत्रिका के कार्यालय पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी को लेकर विवाद छिड़ गया था। अदालत ने जहीर महमूद और उसके सहयोगियों को हत्या और आतंकवाद फैलाने की साजिश रचने का दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा खत्म होने के बाद उन्हें फ्रांस से निष्कासित कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर 2020 को इस फ्रांसीसी पत्रिका ने पैगम्बर के कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया था। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी ने विश्वभर के मुसलमानों को यह निर्देश दिया था कि वे पैगम्बर की तौहीन करने वालों का सिर कलम कर दें। इसके बाद जहीर महमूद पैगम्बर की तौहीन का बदला लेने के लिए अवैध घुसपैठ करके फ्रांस पहुंचा और उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस पत्रिका के पुराने कार्यालय पर हमला कर दिया। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जहीर के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि जहीर महमूद पाकिस्तान के एक गांव में पैदा हुआ था और उसे फ्रांस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे फ्रांसीसी भाषा भी नहीं आती है। वह अवैध घुसपैठ करके फ्रांस में दाखिल हुआ था और वहां पर पाकिस्तानियों के साथ रहने लगा। उसने इस हमले के लिए पांच पाकिस्तानियों का एक समूह बनाया। इस समूह में कुछ नाबालिग भी शामिल थे। किशोरों की अदालत ने जहीर महमूद के सहयोगियों को तीन से 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बाल अदालत ने इन हमलावरों की दया याचिका को भी खारिज कर दिया है। जहीर महमूद के वकील ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। ■

अफगानिस्तान में चीनी नागरिक की हत्या

हिंदुस्तान (24 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई है। इस हत्या की जिम्मेवारी इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हमले का बुरा असर चीन द्वारा अफगानिस्तान में पूंजी निवेश की विभिन्न योजनाओं पर पड़ेगा। बताया जाता है कि इस चीनी नागरिक की हत्या तब की गई जब वह अफगानिस्तान के तखार प्रांत में एक बस में सफर कर रहा था। तखार ताजिकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अफगान सरकार ने चीनी दूतावास को सूचित किया है कि इस चीनी नागरिक ने अपनी यात्रा के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। चीनी नागरिक अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो उन्हें सरकार को इसकी पूर्व सूचना देनी होती है ताकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद अकबर हक्कानी ने बताया कि इस चीनी नागरिक को बस से उतारकर गोली मारी गई थी। अफगान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जिस क्षेत्र में इस चीनी नागरिक की हत्या हुई है वहां पर लंबे समय से इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सक्रिय है।

काबुल स्थित चीनी दूतावास ने इस घटना पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि चीन द्वारा अफगानिस्तान में खनिज संपदा के खनन से संबंधित दो दर्जन योजनाओं पर काम चल रहा है। चीन ने इन योजनाओं पर 40 लाख डॉलर से अधिक का पूंजी निवेश कर रखा है। गौरतलब है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में आईएसआईएस की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। आईएसआईएस के आतंकवादी अफगानिस्तान के नागरिकों, सैनिकों और उच्चाधिकारियों को अपना निशाना बना रहे हैं।

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की घोषणा

उर्दू टाइम्स (17 जनवरी) के अनुसार इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्धविराम के बारे में एक समझौता हो गया है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने काहिरा में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी विधिवत घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि कतर, मिस्र और अमेरिका के प्रयासों से इजरायल और हमास के बीच समझौता हो गया है। इसे 19 जनवरी से लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में इजरायल और हमास के साथ वार्ता जारी है। दोनों पक्षों ने कैदियों और बंधकों को रिहा करने का फैसला किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के पहले चरण में मृतकों के शवों और घायलों के आदान-प्रदान की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त गाजा पट्टी के नवनिर्माण के लिए मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बेघर लोगों का पुनर्वास हो सके।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी संगठन हमास ने युद्धविराम के समझौते को मंजूरी दे दी है। उसने यह भी कहा है कि इजरायली बंधकों को विभिन्न चरणों में रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजरायल एक हजार से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें कुछ कैदी ऐसे भी हैं, जो पिछले 15 सालों से इजरायली जेलों में बंद हैं।

कौमी तंजीम (21 जनवरी) के अनुसार इजरायली मंत्रिमंडल ने युद्धविराम समझौते को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंत्रियों के एक गुट ने इसका विरोध किया है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर सहित तीन मंत्रियों ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। बेन-ग्वीर की पार्टी ओत्जमा येहुदित ने घोषणा की है कि वह इस समझौते को यहूदियों और इजरायली हितों के खिलाफ समझती है। इस पार्टी ने नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन वह नेतन्याहू सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश नहीं करेगी। इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है।

इसी समाचारपत्र ने 22 जनवरी के अंक में कहा है कि इजरायली सेना ने भी इस समझौते का विरोध किया है। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने पद से

त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इजरायल सरकार ने हमास का खात्मा करने का जो लक्ष्य रखा था वह पूरा नहीं हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि जब तक हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक इस युद्ध को रोका नहीं जाएगा। हलेवी ने कहा कि नेतन्याहू की सरकार ने यहूदी कौम के साथ गद्दारी की है।

हिंदुस्तान (24 जनवरी) के अनुसार हमास के इजरायल पर हमले के बाद से अब तक छह इजरायली जनरल अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। इससे पहले नवंबर महीने में बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध की रणनीति में मतभेद को लेकर तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। इजरायल में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रोनेन बार भी अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। वहीं, मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने हमास के इजरायल पर हमले के लिए मोसाद को जिम्मेवार ठहराने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मोसाद का काम इजरायली सीमा के बाहर इजरायल के दुश्मनों पर नजर रखना है। इजरायल के साउदर्न कमांड के कमांडर मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनके साथ इजरायली सैन्य खुफिया प्रमुख अहरोन हलिवा को भी अपना त्यागपत्र देना पड़ा है, क्योंकि मीडिया ने यह आरोप लगाया था कि इजरायली खुफिया एजेंसियां हमास के हमले की पूर्व सूचना देने में विफल रही हैं।

एतेमाद (20 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा में युद्धविराम समझौते को कार्यान्वित नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

सियासत (17 जनवरी) के अनुसार हमास ने इस समझौते को फिलिस्तीनी जनता की हिम्मत और शौर्यपूर्ण संघर्ष का नतीजा बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि पिछले 15 महीने में डेढ़ लाख से अधिक लोग या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं और 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इजरायल हमास का सफाया करने में बुरी तरह से विफल रहा है।

उर्दू टाइम्स (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम में कोई भूमिका नहीं निभाई है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि अगर भारत फिलिस्तीनियों के साथ होता तो इजरायल को गाजा पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन न जाने क्यों मोदी सरकार ने स्वयं को इससे अलग रखा। भारत के इस रवैये से उसकी छवि को धक्का लगा है।

कौमी तंजीम (23 जनवरी) के अनुसार हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल की ताकत का अंदाजा लगाने की गलती की थी। उच्च स्तर के तकनीकी उपकरणों के कारण इजरायल हिजबुल्लाह को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाने में सफल रहा है।

उर्दू टाइम्स (22 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस समझौते को लागू

करना कठिन होगा, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसके समर्थक नहीं हैं। वहीं, इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय दबाव पर युद्धविराम के इस समझौते पर तो हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन जिस तरह से इजरायल में इसका विरोध हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इजरायल इस समझौते को लंबे समय तक कार्यान्वित नहीं करेगा।

सियासत (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस समझौते का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि युद्ध के कारण तबाह हुए गाजा के नवनिर्माण हेतु भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही जो फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। यहूदियों को उन क्षेत्रों से खाली करवाया जाए, जिन पर इजरायल ने अवैध कब्जा कर रखा है।

हिंदुस्तान (21 जनवरी) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि इजरायल और हमास के बीच हुआ यह समझौता अधिक दिनों तक बरकरार नहीं रहेगा। इजरायल ने घोषणा की थी कि वह हमास व हिजबुल्लाह का खात्मा कर देगा, लेकिन फिलिस्तीनी जनता के शौर्य के कारण वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा है। इजरायल अपनी इस हार का बदला जरूर लेगा।

अवधनामा (24 जनवरी) के अनुसार यह समझौता राजनयिक कुशलता का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि, इसमें संदेह है कि यह समझौता अधिक दिनों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी दोनों पक्षों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है।

अवधनामा (1 फरवरी) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अगर हमास ने इस समझौते को लागू करने में ढिलाई की या इसका उल्लंघन किया तो इजरायली सेना पुनः गाजा में दाखिल हो जाएगी और हमास के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पौने चार लाख फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में वापस लौट चुके हैं। इनमें से 50 प्रतिशत पुरुष हैं और शेष महिलाएं व बच्चे हैं। इससे पहले हमास ने भी घोषणा की थी कि तीन लाख से अधिक लोग गाजा में वापस आ चुके हैं। इजरायली सैनिकों ने तलाशी लेने के बाद इन्हें इस क्षेत्र में दाखिल होने दिया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि गाजा युद्ध के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसके नवनिर्माण में 10-15 साल लग सकते हैं।

कौमी तंजीम (1 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने गाजा का दौरा करने के बाद बताया कि वहां पर न तो बिजली है, न ही पानी है और न ही वहां पर रहने की कोई जगह है। जो लोग वापस लौट रहे हैं उन्हें पुनर्वास में बहुत कठिनाई आ रही है। गाजा में कुछ भी नहीं बचा है। चारों तरफ विस्फोटक बिखरे हुए हैं। वहां पर चलना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी स्थिति के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है।

ईरान के सर्वोच्च न्यायालय पर आतंकी हमला

एतेमाद (19 जनवरी) के अनुसार एक हमलावर ईरान की राजधानी तेहरान स्थित सर्वोच्च न्यायालय में घुसा और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में ईरानी सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश मारे गए और एक न्यायाधीश घायल हो गए। बाद में हमलावर ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मरने वाले एक न्यायाधीश अली रजिनी पर 1998 में भी घातक हमला किया गया था। तब उनकी कार में एक बम लगाया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया था। इस हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। दूसरे मृतक न्यायाधीश की पहचान मोहम्मद मोगीसेह के रूप में हुई है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है।

कौमी तंजीम (24 जनवरी) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक गायक आमिर हुसैन तातालू को मौत की सजा सुनाई है। समाचारपत्र के अनुसार तातालू 2018 से तुर्किये में रह रहे थे। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने एक गाने में पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन की थी। इस घटना के बाद वे ईरान से भागकर तुर्किये चले गए थे। ईरान सरकार के अनुरोध पर तुर्किये ने उन्हें 2023 में वापस ईरान भेज दिया था। इससे पहले भी अश्लीलता फैलाने और ईरान की इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में ईरान की एक अदालत ने तातालू को 10 साल की सजा सुनाई थी। जब ईरानी गुप्तचर विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की तो पता चला कि तातालू ने इससे पहले भी अपने एक गाने में इस्लाम की तौहीन की थी। इस पर अदालत ने उन्हें पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई थी।

बाद में यह भी पता चला कि तातालू ने पैगंबर-ए-इस्लाम की भी तौहीन की थी। इस पर उनके खिलाफ मुकदमे की दोबारा सुनवाई की गई। इस मुकदमे के दौरान यह साबित हुआ कि उन्होंने वास्तव में अपने एक गाने में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर ईरान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने तातालू की इस अपील को खारिज कर दिया। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता असगर जहांगीर ने यह पुष्टि की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तातालू की अपील को खारिज कर दिया है। तातालू ईरान के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक है। उन्होंने 2017 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का टेलीविजन पर एक साक्षात्कार भी लिया था।

अवधनामा (26 जनवरी) के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय में मानवाधिकार एवं महिला मामलों की निदेशक मरजीह अफखम ने यूरोपीय यूनियन द्वारा पारित एक प्रस्ताव की निंदा की है। इस प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया था कि ईरानी सेना और उसके गुप्तचर सरकार के

राजनीतिक विरोधियों को अपना निशाना बनाते हैं। पिछले वर्ष विश्वभर में सबसे ज्यादा ईरान में लोगों को फांसी दी गई थी। अफखम ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह कानून के अनुसार मुकदमों की सुनवाई करती है, जिसमें दोषियों को अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने वकील पेश करने की भी आजादी है। अफखम ने कहा कि विदेशी एजेंसियां ईरान और उसकी न्यायिक व्यवस्था को जानबूझकर बदनाम करने का अभियान चला रही हैं। इन विदेशी एजेंसियों द्वारा ईरान में आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है।

हूती समूह अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित

एतेमाद (24 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यमन के हूती विद्रोहियों के संगठन अंसार अल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। यमन के सूचना मंत्री हाशेम अहमद अब्दुलरहमान शराफुद्दीन ने कहा है कि हूतियों ने इजरायल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है उसके कारण ट्रम्प प्रशासन बौखला गया है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूतियों को आतंकवादी सूची से हटा दिया था। ट्रम्प ने सत्ता संभालने के फौरन बाद हमें पुन: इस सूची में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी हमारी इजरायल विरोधी गतिविधियों से बौखला गए हैं। वे लगातार हमें हवाई हमलों का निशाना बना रहे हैं। इसके बावजूद हम उनके खिलाफ मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। शराफुद्दीन ने कहा कि गाजा में हमास और इजरायल के बीच समझौता हो गया था, इसलिए हमने इजरायल और उसके समर्थक देशों के जहाजों पर हमले बंद कर दिए थे। अब हम फिर से अपने हमले तेज कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि हूतियों को ईरान से हथियारों की सहायता प्राप्त होती है।

अहमद अल–शरा सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त

उर्दू टाइम्स (31 जनवरी) के अनुसार सीरियाई सेना के प्रवक्ता हसन अब्देल गनी ने घोषणा की है कि अहमद अल-शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल-जुलानी को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्हें एक अस्थाई विधान परिषद का गठन करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही सीरिया के 2012 के संविधान को भी निलंबित कर दिया गया है। देश में आपातकाल के दौरान पारित किए गए सभी कानूनों को भी रद्द कर दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अल-शरा की निगरानी में गठित विधान परिषद नए संविधान को मंजूरी मिलने तक देश का शासन चलाने में

मदद करेगी। देश के विभिन्न सशस्त्र गुटों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी हथियार सेना के हवाले कर दें। इन सभी सशस्त्र गुटों को भविष्य में देश की सेना की निगरानी में ही काम करने की अनुमति होगी। पिछले 50 सालों से देश की सत्ता पर काबिज अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पार्टी पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इसने सेना और गुप्तचर एजेंसियों के साथ मिलकर नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रही थी। उल्लेखनीय है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद बाथ पार्टी के थे।

सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है अहमद अल-शरा के नेतृत्व में दमिश्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कुर्द विद्रोही संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने हिस्सा नहीं लिया था। जबकि 18 अन्य विद्रोही संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल थे। पर्यवेक्षकों के अनुसार पहले इनमें से अधिकांश विद्रोही गुट आपस में लड़ते रहे हैं। यह पहला अवसर है कि ये सभी संगठन अहमद अल-शरा के नेतृत्व में एक जगह इकट्ठे हुए हैं। गौरतलब है कि अहमद अल-शरा के नेतृत्व में सीरिया में हुए सशस्त्र विद्रोह ने पांच दशक से देश की सत्ता पर काबिज असद परिवार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद अपने परिवार सहित रूस भाग गए थे। बता दें कि बशर अल-असद का संबंध शिया संप्रदाय से है। जबकि अहमद अल-शरा का संबंध सुन्नी संप्रदाय से है। शियाओं के अधिकांश सशस्त्र गुट नए शासन में शामिल नहीं हुए हैं।

एतेमाद (25 जनवरी) के अनुसार सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने घोषणा की है कि तुर्किये के लिए सिरदर्द बने आतंकवादी संगठनों को तुर्किये में अशांति फैलाने के लिए सीरिया की भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) और पीपुल्स डिफेंस यूनिट (वाईपीजी) को सीरिया से फौरन अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए। हम उन्हें किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। अहमद अल-शरा ने कहा कि कथित इस्लामिक खिलाफत आईएसआईएस पीकेके और वाईपीजी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके तुर्किये और सीरिया में अशांति फैला रहा है। उन्होंने कहा कि बशर अल-असद के शासनकाल में उत्पीड़न के कारण जो सीरियाई नागरिक विदेशों

में चले गए थे उन्हें अब पुनः अपने देश वापस लौट आना चाहिए।

एतेमाद (16 जनवरी) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने सभी देशों से अपील की है कि वे सीरिया के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से बाज आएं। उन्होंने कहा कि तुर्किये के पास कुर्द विद्रोहियों और आईएसआईएस सहित सभी आतंकवादी संगठनों को कुचलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जब तक कुर्द विद्रोही संगठन वाईपीजी आत्मसमर्पण करके अपने सभी हथियार सरकार के हवाले नहीं करता तब तक उसको खत्म करने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वे सीरिया के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें।

एतेमाद (17 जनवरी) के अनुसार तुर्किये के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि सीरिया में पीकेके, वाईपीजी और आईएसआईएस के लिए कोई जगह नहीं है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सीरिया के नवनिर्माण के लिए हर तरह की सहायता देने के लिए कटिबद्ध हैं। फिदान ने कहा कि अलेप्पो (हलब) में हमारे दूतावास ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सीरिया में टर्किश एयरलाइंस की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सीरिया और तुर्किये को नए अध्याय शुरू करने का अवसर दिया है।

उर्दू टाइम्स (30 जनवरी) के अनुसार रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सीरिया का दौरा किया और अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। यह मुलाकात तीन घंटे तक चली। मिखाइल बोगदानोव ने संवाददाताओं को बताया कि इस बातचीत में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, विदेश मंत्री असद अल-शैबानी और स्वास्थ्य मंत्री माहेर अल-शरा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीरिया की जनता के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। इस मुलाकात में हमने व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। हमने सीरिया को यह आश्वासन दिया है कि रूस उसे बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण में पूरा सहयोग देगा। इसके अतिरिक्त उसे खाद और बीज आदि भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

हिंदुस्तान (17 जनवरी) के अनुसार इजरायल ने सीरिया में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। एक इजरायली ड्रोन ने गदीर अल-बुस्तान गांव में सीरिया की सेना के एक काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ सीरियाई सैनिक व आम नागरिक मारे गए। गौरतलब है कि आठ दिसंबर को बशर अल-असद के अपदस्थ होने के बाद इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए थे। इजरायल ने दावा किया था कि ये हमले इसलिए किए गए हैं ताकि दुश्मन इन क्षेत्रों पर कब्जा न कर सकें। इजरायल ने गोलान हाइट्स के बफर जोन में भी अपने सैनिकों को तैनात करने की

घोषणा की थी। 14 दिसंबर 2024 को सीरिया के नेता अहमद अल-शरा ने इजरायली सेना के हस्तक्षेप की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि इजरायल सीरिया की सीमा का उल्लंघन न करे, क्योंकि इससे इस क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ सकती है।

उर्दू टाइम्स (16 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी मंत्रिमंडल के अधिवेशन के बाद घोषणा की कि सऊदी अरब सीरिया में आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम सीरिया के नवनिर्माण के लिए हर तरह की सहायता देने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर कोई विदेशी शक्ति सीरिया पर हमला करती है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए उसे हर तरह का सहयोग देंगे।

सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा

सियासत (24 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने अगले चार सालों में अमेरिका में कम-से-कम 600 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार इस संबंध में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से विस्तृत रूप से बातचीत की है। गौरतलब है कि ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में सऊदी अरब का दौरा किया था और दोनों देशों ने 400 अरब डॉलर के पूंजी निवेश से संबंधित विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। 2018 में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब में कुछ हथियारों का उत्पादन करने के लिए तैयार हो गया है। इससे सऊदी अरब में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारी सुरक्षा को भी मदद मिलेगी। सऊदी युवराज ने ट्रम्प को अमेरिका के राष्ट्रपति का पुनः कार्यभार संभालने पर बधाई दी है।

सियासत (25 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान एक महान हस्ती हैं। उनके साथ हमारा पुराना संबंध है। उन्होंने कहा कि वे यह प्रयास करेंगे कि सऊदी अरब अमेरिका में कम-से-कम 1000 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करे। इसके अतिरिक्त वे सऊदी अरब और ओपेक देशों के संगठन से तेल के मूल्य में कटौती करने का भी आग्रह करेंगे।

सूडान के बाजार पर हुए हमले में 54 लोगों की मौत

अवधनामा (3 फरवरी) के अनुसार सूडान में गृहयुद्ध गंभीर रूप लेता जा रहा है। सूडानी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सूडान के एक प्रमुख नगर ओमदुरमान के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार पर विद्रोहियों के एक हमले में कम-से-कम 54 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। सूडानी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के लिए सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) को दोषी ठहराया है। यह इस्लामिक विद्रोही गुट अप्रैल 2023 के बाद से देश की सत्ता पर कब्जा करने हेतु युद्ध छेड़े हुए है। जर्मन न्यूज एजेंसी 'डीपीए' के अनुसार सूडान में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।

गौरतलब है कि पिछले दो सालों से सूडान के शासक अब्देल फतह अल-बुरहान और उनके उप सेना प्रमुख मोहम्मद हमदान डागालो के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष चल रहा है। सूडान की सेना अल-बुरहान का साथ दे रही है। जबकि अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ मोहम्मद हमदान डागालो के साथ है। इस गृहयुद्ध में 50 हजार से एक लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जबकि एक करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में गृहयुद्ध को रोकने का जो प्रयास किया था वह विफल रहा है। दोनों गुट नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। विदेशी संवाद समितियों ने महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की अनेक घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट दी है। दोनों गुट अस्पतालों और गिरजाघरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

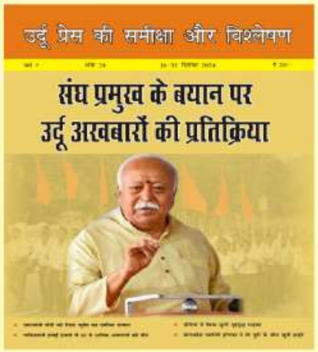

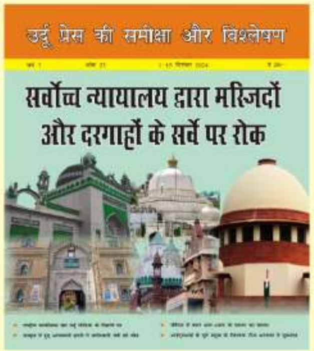

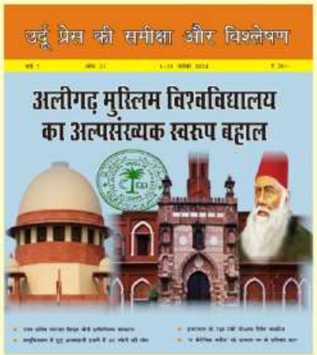

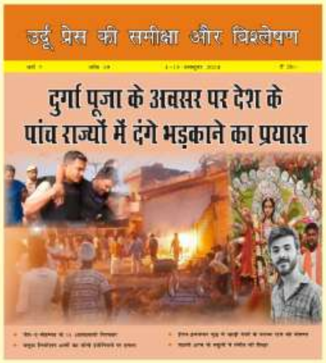

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in